समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–21 / 2023–24
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
अज्ञात
–::आदेश::–

04.08.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–26 / 2023, दिनांक–12.06.2023 के द्वारा चन्दनकियारी (भोजूडीह ओ0पी0) थाना कांड सं0–143 / 2023, दिनांक–05.06.2023 के अन्तर्गत जप्त दामोदरपुर बस्ती के पश्चिम की ओर स्थित जगहों पर कुल 32,000 घनफीट बालू एवं सिंह बस्ती के पीछे पश्चिम की ओर स्थित जगहों पर 15,000 घनफीट बालू के विरूद्ध अवैध खनन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप अवैध रूप से भण्डारित बालू खनिज को The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा कहा गया कि दिनांक–05.06.2023 को खान निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान चन्दनकियारी (भोजूडीह ओ0पी0) थाना अन्तर्गत दामोदरपुर बस्ती के पश्चिम की ओर स्थित जगहों पर कुल 32,000 घनफीट बालू एवं सिंह बस्ती के पीछे पश्चिम की ओर स्थित जगहों पर 15,000 घनफीट बालू अवैध रूप से भण्डारित पाया गया। ग्रामीणों से पूछ–ताछ करने पर भण्डारणकर्त्ता का नाम एवं पता नहीं मालूम चल पाया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि प्रश्नगत स्थल पर बालू खनिज के भण्डारण हेतु The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 3 के तहत कोई भी भण्डारण अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है। फलस्वरूप जप्त बालू को सुरक्षित अभिरक्षण में रखने हेतु थाना प्रभारी चन्दनकियारी (भोजूडीह ओ0पी0) को निदेश

देते हुए अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका थाना कांड सं0—143/2023, दिनांक—05.06.2023 है। अन्त में उनके द्वारा कहा गया कि अवैध रूप से खनिजो का उत्खनन कर भण्डारण करना MMDR Act 1957 की धारा 4(1), 4(1A) एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम 7 उल्लंघन है। अतः उनके द्वारा उक्त थाना काण्ड के अन्तर्गत जप्त 47,000 (सैंतालिस हजार) घनफीट बालू को राज्य सरकार के हित में राजसात् करने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि यह मामला चन्दनकियारी (भोजूडीह ओ0पी0) थाना कांड सं0—143/2023, दिनांक—05.06.2023 के अन्तर्गत जप्त लगभग 47,000 (सैंतालिस हजार) घनफीट बालू के अवैध रूप से भण्डारण करने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप समाचार पत्र के माध्यम से प्रश्नगत बालू के संदर्भ में दिनांक—25.07.2023 तक दावा प्रस्तुत करने हेतु आम सूचना का प्रकाशन किया गया था। किन्तु अब तक उक्त बालू के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति के द्वारा दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि भण्डारणकर्त्ता के द्वारा अवैध रूप से ही प्रश्नगत बालू को भण्डारित किया गया था।

वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0—26/2023, दिनांक—12.06.2023 को स्वीकृत करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत चन्दनकियारी (भोजूडीह ओ0पी0) थाना कांड सं0—143/2023, दिनांक—05.06.2023 के अन्तर्गत दामोदरपुर बस्ती के पश्चिम की ओर स्थित जगहों पर कुल 32,000 घनफीट बालू एवं सिंह बस्ती के पीछे पश्चिम की ओर स्थित जगहों पर 15,000 घनफीट बालू, जो अवैध रूप से भण्डारित था, को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को निदेश दिया जाता है प्रश्नगत बालू को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से बिक्री कर प्राप्त राशि को उचित

शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करेंगें। उक्त विवेचन के साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

04.8.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

04.8.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.07.06 17:01:11 +05:30
Location: 192.168.1.109